

डिक्री बमुकदमें ईलादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 616/2025

सुशील कुमार पुत्र श्री लालवन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया
सुनील कुमार पुत्र श्री लालवन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया

बनाम

-वादीगण

जालचन्द पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया-

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते
रजिस्ट्रार कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रवीण बैरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अमन
वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती
कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील संगरिया चक 13 एमजेडी खाता संख्या 147/90 ज.स. 2074-77
में 2024 है. व चक 18 एएमपी खाता संख्या 115/79 ज.स. 2071-74 में 7.590 है. एवं चक 9 एमजेडी
खाता संख्या 100/120 ज.स. 2074-77 में 1.518 है. आराजी मे से वादीगण को निम्नानुसार आराजी के
वादीगण काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 इसी हद तक हिस्सा कम किया जाकर वादीगण का
खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

वादी स. 01 सुशील कुमार के हक व हिस्से की कृषि भूमि :- चक न. 18 ए.एम.पी.



प.न.	मु.न.	किला नं.
128/163	40	5,6,15/0.253 है.प्र.
129/163	41	1,10,11,20,21,22/0.253 है.प्र.
126/164	42	2,9/0.253 है.प्र. 3/0.222 है. पश्चिमी दिशा 8/0.221 है. पश्चिमी दिशा चक 9 एमजेडी
139/174	19	5/1/0.2288. 5/2/0.0258. गै.मु. रास्ता 6,15,16/0.253 है.प्र.
140/174	20	11,20/0.253 है.प्र.

वादी स. 02 सुनील कुमार के हक व हिस्से की कृषि भूमि:- चक 13 एमजेडी

प.न.	मु.न.	किला नं.
133/173	31	1/1/0.228, 1/2/0.025 है. गै.मु. खाला 2/1/0.228, .2/2/0.025 है.गै.मु. खाला 9,10,11,12,13,20/0.253 है.प्र.
चक 18 एएमपी के खाता संख्या 115/79		
129/163	41	14,16,17,18,19,23,24,25/0.253 है.प्र
129/164	42	4,7,13/0.253 है. प्र 3/0.031 है. पूर्वी दिशा 8/0.032 है. पूर्वी दिशा

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....18.2.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया